**-:प्रेस नोट:-**

**दिनांक- 11.09.2026**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अपर पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र बड़ोखर में शिक्षकों को बाल सुरक्षा, यातायात नियमों, साइबर अपराधों सहित बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्रावधानों आदि की जानकारी देकर किया गया प्रशिक्षित।**

**विवरण-** - आज दिनांक 11.09.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज द्वारा ब्लाक संसाधन केन्द्र बड़ोखर में प्राथमिक शिक्षकों को बाल सुरक्षा, यातायात नियमों, साइबर अपराधों सहित बच्चों से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्रावधानों आदि की जानकारी देकर उन्हे प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, बांदा द्वारा प्रतिभागी शिक्षकों को बाल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा सहित बच्चों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई और बताया गया कि विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चों के साथ होने वाले अपराधों एवं उनके शोषण की रोकथाम, बाल अधिकारों के संरक्षण तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध अथवा अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों, बाल विवाह, बाल श्रम, बच्चों के साथ हिंसा एवं उत्पीड़न आदि के प्रति संवेदनशील रहने तथा ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर संबंधित विभाग/पुलिस को तत्काल सूचित करने के लिए जागरूक किया गया। इसके साथ ही वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए शिक्षकों को साइबर सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से जागरूक किया गया। बच्चों एवं उनके अभिभावकों को मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग एवं इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूक करने, अनजान लिंक पर क्लिक न करने, संदिग्ध कॉल अथवा संदेश पर व्यक्तिगत एवं बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा न करने तथा साइबर अपराध की स्थिति में समय से शिकायत दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी गई। इस दौरान यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के संबंध में भी शिक्षकों को जागरूक कर प्रशिक्षित किया गया। विद्यार्थियों को सड़क पार करते समय सावधानी बरतने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के प्रयोग, यातायात संकेतों का पालन करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया तथा बताया गया कि वे स्वयं भी सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों को बाल अधिकार, साइबर सुरक्षा, यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा के प्रति नियमित रूप से जागरूक करें। बच्चों को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर उन्हें किसी भी प्रकार के अपराध अथवा शोषण से बचाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।